

अज अदालत न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट लवाण उपखण्ड लवाण मुकाम लवाण
उनवान भगवान सहाय बनाम हरसहाय वगै०

577084
21/10/22

किस्म मुकदमा दावा स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 66 सन् 2022

21-10-2022

वादी के अधिवक्ता श्री राजकुमार तिवाडी द्वारा दावा स्थाई निषेधाज्ञा उपस्थित होकर पेश किया गया। जिस पर सुना गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादीगणों का नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 25.11.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उप जिला कलक्टर
लवाण
लवाण

04/11/22

वादी एवं वादी के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर पेश किया गया। जिस पर सुना गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादीगणों का नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 25.11.2022 को पेश हो।
वादी एवं वादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगणों के राजीनामा हो गया है। पत्रावली को आगे नहीं चलाया जाएगा है। वाद को नोटिस में खारिज करवाया जाएगा है।

वादी एवं वादी अधिवक्ता अपने वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं, वादी का वाद नोटिस में खारिज किया जा रहा है। निर्णय आज दिनांक 04/11/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली केवल सुप्रीम होकर वाद खेप भेजा है।

उप जिला कलक्टर
लवाण

नोटिस



निःप्रसन्न
महा

21/11/22

